File No. MCDR-MCTDCBMTFLtOCEXT21AFOO2DEMINOBMINQCAMPOUTER No. 2932)

1/25363/2024 1/25363/2024

Violation letter/उल्लंघन पत्र (Speed post/ त्रिव डाक)

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्युरो





Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines Office of the Regional Controller of Mines. Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002 Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

दिनांक: 09 /02 /2024

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर

ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या: MCDR-MiFL0BXT/1/2022-AJM-IBM RO AJM

प्रेषित: श्रीमती सरस्वती देवी गौड प्रोपराइटर में शिवशक्ति मिनरल्स,

290-बीज गोदाम, ईसवाल पंचायत समिति के पास ग्राम -ईसवाल तहसील बडगांव जिला उदयपुर

ईमेल: (shivshaktiminerals86@gmail.com)

विषय : राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी बांसलिया बाक्साइट खान क्षेत्रफल 123.20 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन । महोदय.

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 15/01/2024 by undersign in presence of Shri Jai Shankar Gaur, Agent/ Representative of your Mine.

| Rule | Status and extent of violation |
|-------|--|
| 11(1) | Mining operation has not been carried out in accordance to the Review Mining Plan |
| | approved on 26/03/2021 to the extent given below for the year 2022-23: |
| | (1) It was proposed to mine out 1623 tones of Bauxite ROM from the mine during the |
| | year 2022-23. But the quantity of Bauxite ROM excavated during the year Nil. In |
| | fact mineral Bauxite has not been produced from mine since long time. |
| | (2) Bench Geometry /dimensions in pit No. 1 and Pit No. 2 are not as per approved RMP. |
| | (3) Suitable protective measures i.e. fencing of water logged pit have not been done. |
| | |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंर्तगत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली ,2017 के अंर्तगत:

- (क) आपकी खान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(पंकज कुलश्रेष्ठ) सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

- 1. खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2. निदेशक , खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर
- 3. खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला– उदयपुर।
- 4. रक्षित पत्रावली ।